प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 27 – 04 जुलाई 2016 मूल्य पांच रूपए

क्या दीपक सानन की चार्जशीट ड्रॉप कर पायेगी सरकार?

शिमला/शैल। प्रदेश के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन एस पी सी ए के एक मामले में अभियुक्त है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करके 1993 के लीज नियमों की धारा 9 को नजर अन्दाज

करके इनमें सबलीज का प्रावधान करके न केवल खिलाडीयों के लिये बनाये गये आवास के सबलीज का वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति का एन ओ सी जारी किया बल्कि मन्त्रीमण्डल का भी शक्तियों का भी अपने ही स्तर पर इस्तेमाल कर लिया। यह भी आरोप है कि लीज नियमों में 2003 में हुए संशोधन के बाद भी केवल पांच बीघा जमीन ही लीज पर दी जा सकती थी। स्मरणीय है कि एचपीसीए को 2002 में 49118 वर्गगज और 2009 में होटल के लिये भी करीब इतनी ही जमीन लीज पर दी गयी थी। राजस्व सचिव के नाते नियमों के विरूद्ध दी गयी इतनी ही लीज पर उन्हें आपत्ति उठानी चाहिये थी जो कि उन्होने नही की। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने लीज नियमों में 2011 में विधान सभा से संशोधन पारित करवार ज्यादा जमीन लीज पर देने का प्रावधान किया था। वर्ष 2002 और 2009 में सरकार को इतनी जमीन लीज पर देने का अपने स्तर पर कोई अधिकार नहीं था। सरकार केवल विधान सभा में ही संशोधन लाकर यह शक्तियां प्राप्त कर सकती थी अन्यथा नहीं। 2011 का संशोधन पारित होने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस मार्कण्डेयकाटजु और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की खण्ड पीठ के जनवरी 2011 में आये फैंसले में विलेज कॉमन लैण्ड के आंवटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैंसले की अनुपालना सुनिश्चित करने और न्यायालय को नियमित रिर्पोट भेजने के लिये राज्यों के मुख्य सचिवों को इसमें पार्टी बनाकर विशेष निर्देश दे रखे है।

इस तरह विजिलैन्स ने अपने चालान में सानन के खिलाफ लीज नियमों की अनदेखी और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तथा निर्देशों की अवहेलना ,रूल्ज ऑफ बिजनैस के शडयूल 20 की उल्लघंना का दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) और आईपी सी की धारा 120 (B) के तहत चालान अदालत में दायर किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकद्दमा चलाने की अनुमति दे रखी है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिये मामला केन्द्र सरकार को भेजा । लेकिन भारत सरकार ने 25 – 08 – 15 को प्रदेश के प्रधान सचिव कार्मिक को भेजे आदेश में अभियोजन की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इन्ही आरोपों पर सानन को चार्जशीट भी कर रखा है। लेकिन केन्द्र से अभियोजन की अनुमति न दिये जाने के आधार पर सानन प्रदेश सरकार से चार्जशीट वापिस लेने का आग्रह कर रहें है। इसके लिये उन्होने सरकार को प्रतिवेदन भी कर रखे है। जिन पर सरकार की ओर से कोई कारवाई नही की गयी है। सानन ने अपने प्रतिवेदनों पर हुई कारवाई की जानकारी आरटीआई में भी मांग रखी है। इस मामले में अनुराधा ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल सहित कुल अठाहर आरोपी है। इसी मामले में सुभाष आहलूवालिया, सुभाष नेगी और टीजी नेगी को विजिलैन्स ने खाना 12 का आरोपी बना रखा है। इसी मामले में एचपीसीए के खिलाफ सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का आरोप भी शामिल हैं जब अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेकर अगली कारवाई शुरू की थी तथी एच पी सी ए ने इसे अदालत में चुनौती दे दी । आज इस मामले का ट्रायल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे हो चुका है। सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का मामला भी अभी तक प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रदेश उच्च न्यायालय से यह मामला वापिस आर सी एस के पास जायेगा क्योंकि सोसायटी से कंपनी बनाया जाना सही था या नहीं इसका पहला क्षेत्राधिकार आर सी एस का कोर्ट है।

इस तरह यह मामला इतने स्तरो पर लंबित चल रहा है कि निपटारा होने में काफी समय लग जायेगा । इसी मामले के कारण सानन मुख्य सचिव नहीं बन पाये है। इसी मामले का एक रोचक तथ्य यह भी है कि विजिलैन्स ने अपने चालान में स्पष्ट कहा है कि इनती जमीन लीज पर दिया जाना नियमों के विरूद्ध है लेकिन इसके लिये किसी को भी अभियुक्त नामजद नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अभियोजन की अनुमति न दिये जाने के लिये सानन के प्रतिवेदन को आधार बनाया है। सानन ने अपने बचाव में 13 – 10 – 2003 के राजस्व विभाग के स्टैण्डिगं आर्डर का सहारा लिया है। अपने डिफैन्स में रूल्ज ऑफ बिजनैस के शडयूल 13 के नियम 14,15 और 16 का भी तर्क लिया है। सानन ने संशोधित लीज नियमों का भी सहारा लिया है। अभियोजन की अनुमति पर सानन ने अपना पूरा डिफैन्स रखा है जबकि सीबीसी के 12 मई 2005 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अभियोजन की अनुमति के समय डिफैन्स रखने का प्रावधान ही नहीं है। फिर संशोधित लीज नियम 2 – 8 – 2011 को अधिसूचित हुए जबकि सर्वोच्च न्यायालय का फैंसला 20 – 01 – 2011 को आ गया था। फिर संशोधित नियमों से पहले इतनी लीज का सरकार को अधिकार ही नहीं था। इस पृष्ठ भूमि में सानन के प्रतिवेदनों पर सरकार फैंसला नहीं ले पा रही है। केन्द्र सरकार का आदेश सीबीसी के दिशा निर्देश और विजिलैन्स के चालान का आरोप पृष्ठ पांच पर पढ़ें...

सीआईसी के लिये तोमर की दावेदारी सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का पद 24 मार्च के बाद से खाली चला आ रहा है। जब यह पद खाली हुआ तब सरकार ने इसको भरने के लिये कोई आवदेन आमन्त्रित नही किये। बिना खुले आमन्त्रण के ही चार आवेदन आ गये। चर्चाएं उठी की मुख्य सचिव पी मित्रा को इस पद पर बिठा कर उनके स्थान पर वीसी फारखा के मुख्य सचिव बना दिया जायगा। लेकिन 31 मई को मित्रा का सेवानिवृति तक इस चर्चा पर अमल नही हो सका और इसी बीच पद को भरने के लिये विज्ञापित जारी करके आवेदन मांग लिये गये। मित्रा की सेवानिवृति के दिन ही उन्हे राज्य चुनाव के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गयी और फारखा मुख्य सचिव भी बन गये लेकिन सीआईसी का पद आज तक खाली चला आ रहा है।

अब इस पद के लिये डेढ सौ के करीब आवेदन आ गये है। जिनमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के एस तोमर के अतिरिक्त पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा भारत सरकार से सेवानिवृति सचिव उच्च शिक्षा अशोक ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव नरेन्द्र चौहान, पीसी धीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी एन एस नेगी , वर्तमान सूचना आयुक्त के डी वातिश और आर टी आई एक्टिविस्ट देवाशीष भटाचार्य । सीआईसी का चयन मुख्य मन्त्री नेता प्रतिपक्ष और मुख्यन्त्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मन्त्री सहित यह तीन सदस्यों की कमेटी अपने बहुमत से करेगी। इसमें वीटो का अधिकार किसी को नही है। यह कमेटी अपने चयन की सिफारिश राज्यपाल को भेजेगी । राज्यपाल इस चनय पर यदि चाहे तो कुछ और स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। अभी तक चयन कमेटी का गठन नही किया गया है। आवदेकों की सूची बहुत लंबी है। ऐसे में चयन केमटी चयन से पूर्व एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकती है यह स्क्रीनिंग केमटी आवदेकों के वायोडाटा को खंगालने के बाद शीर्ष के आठ – दस लोगों को शार्ट लिस्ट करके चयन कमेटी के सामने अन्तिम चयन के लिये रख सकती है।

लेकिन इस समय आवेदकों के रूप में सामने आये उपरोक्त नामों पर उठी चर्चाओं के अनुसार के एस तोमर, नरेन्द्र चौहान और वी एन एस नेगी को सबसे बड़े दावेदारों में माना जा रहा है। तोमर वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें मुख्यमन्त्री की पहली पसन्द माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल भी उनके नाम पर सहमति दे सकती है। यदि तोमर सीआईसी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर वी एन एस नेगी और नरेन्द्र चौहान में से किसी एक का चयन तय है।

लेकिन इस चयन से पूर्व ही तोमर की दावेदारी पर देवाशीष भटाचार्य ने प्रदेश के राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मन्त्री को शिकायत भेज दी है। भटाचार्य ने एतराज उठाया है कि लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है। जिसमें पूरी तरह निष्पक्षता अपेक्षित है। परन्तु सीआईसी के पद के लिये अपनी दावेदारी जतारक तोमर की निष्पक्षता पर स्वत: ही सवाल उठ जाते हैं क्योंकि सीआईसी का चयन मुख्यमन्त्री पर आधारित कमेटी करेगी। भटाचार्य ने अपने एतराज में सर्वोच्च न्यायालय के 15.2.13 को पंजाब बनाम सलिल सबलोक मामले में आये फैसले को आधार बनाया है। इसी एतराज के साथ संविधान की धारा 319(b) में लोकसेवा आयोग के सदस्यों पर राज्य या केन्द्र सरकार में कोई भी स्वीकारने पर लगी बार का भी उल्लेख किया है। भटाचार्य ने लोक सेवा आयोग की कुछ सिफारिशों पर प्रदेश उच्च न्यायालय में आये मामलों का भी जिक्र करते हुए तोमर की निष्पक्षता पर बुनियादी सवाल उठायें है। भटाचार्य का तर्क है कि सीआईसी

के लिए आवदेन करने के साथ ही तोमर को लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था और उन्होने ऐसा नही किया है इसलिये राज्यपाल को उन्हे पद से हटा देना चाहिये । सवोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है।

स्वदेशी अपनाने से मिलेगी सच्ची स्वतंत्रता: एडीएन वाजपेयी

शिमला/शैल। स्वदेशी भावना, स्वदेशी संस्कार और स्वदेशी स्वाभिमान से ही सही रूपों में स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसी से भारत विश्व में अपने आपको स्थापित कर पायेगा। यह बात स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी ने कही। शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक गयेटी थियेटर में स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी अर्थव्यवस्था आज की आवश्यकता विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन किया।

इस संगोष्ठि में बतौर मुख्य अतिथि विवि के उपकुलपति एडीएन वाजपेयी, मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल एवं विशिष्ठ अतिथि हरियाणा सरकार में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वाजपेयी ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हर वस्तु विदेशों से ही आयातित की जा सकती है भारत किसी तकनीक को विकसित करने में सक्षम नहीं है। सूर्य की रोशनी, पानी, हवा इत्यादि तत्वों से बना यह पर्यावरण विदेशों से आयातित नहीं है। उनका कहना था कि जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले अपने संसाधनों को भलीभांति पहचाने और विश्व को भी बताये। भारत में ज्ञान की अमूल्य निधि है लेकिन इस ओर अनुसंधान करके ही हम विश्वस्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कश्मीरी लाल ने बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक सन्यासी का ही प्रण है कि आज वो विदेशी कंपनियों से स्पर्धा में आकर खड़े हो गये हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद अब स्वदेशी स्तर पर ही निर्मित हो रहे हैं। उनका कहना था कि भारत में विदेशी कंपनियां हर स्तर पर देश में लूट मचा रही है। इलाज के नाम पर इतनी मंहगी दवाईयां वो बेच रहे हैं कि आम लोगों की हालत उसके दाम सुनकर ही खस्ता हो जाती है। हिमाचल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल का सेब विश्व प्रसिद्ध है फिर भी सेब चीन से आयात किया जा रहा है जो बेहद चिंता की बात है। स्वदेशी जागरण मंच लगातार स्वदेशी नीतियों को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि आज विदेशी कंपनियों की नजर भारतीय बीज बाजार पर पड़ गयी है जिसका खामियाजा यहां के आम किसानों को भुगतना पड़ेगा। विदेशी कंपनियां बीजों के लिए विदेशी निर्भरता का खेल खेल रही है जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए और स्वदेशी बीज को तैयार करने के लिए शोध करवाने चाहिए। भारतीय क्षमताओं का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि सुपर कम्प्युटर का निर्माण भारत ने अपने दम पर किया। आज स्वदेशी तकनीकों के कारण भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में अपने परचम लहरा रहा है। उन्होंने भारतीय नीति निर्माताओं से अपील की भारतीय वैज्ञानिकों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे ताकि देश को अनुसंधान के लिए विदेशी आयात पर निर्भर न होना पड़े। उन्होंन तुलसी, नीम, गिलोये का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में इनके औषधिय गुणों की हमेशा उपेक्षा की जाती रही जबकि विदेशों में जब इस पर अनुसंधान हुए तो वह इसका पेटैंट करवाने की कवायद में जुटे है। उन्होंने सरकार से अपील की विदेशी निवेश में छूट देने से स्थाई विकास नहीं होगा बल्कि इसके लिए स्वदेशी नीति और स्वदेशी भावना को अपनाने की जरूरत है। विशिष्ठ अतिथि प्रशांत भारद्वाज ने आर्थिक नीतियों के वैश्वीकरण का विरोध करते हुए कहा कि न तो स्वदेशी भाषा का वैश्वीकरण हुआ न स्वदेशी संस्कृति का केवल वैश्वीकरण के नाम विदेशी उपभोक्तावाद का ही विस्तार हुआ है ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम देश को बाजार की दृष्टि से न देखकर एक समग्र राष्ट्र के रूप में देखें तभी हम वैश्वीकरण के सही अर्थो को जान पायेंगे। उन्होंने स्थाई विकास के लिए स्वदेशी नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अधयक्ष डॉ. नागेश ठाकुर एवं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक नरोतम ठाकुर ने भी संबोधित किया। प्रांत संयोजक अजय भेरटा ने अतिथियों का कार्यक्रम में आने पर धन्यवाद किया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT KANGRA
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 are invited by the Executive Engineer, Kangra Division HP, PWD Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors /firms enlisted in HPPWd in the appropriate class for the work mentioned below on 01.08.2016 up to 10:45 A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non-refundable) on any working day from 25.07.2016 to 30.07.2016 the applications for issue of tender forms will b received latest by 27.07.2016 up to 12:00 Noon the applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter an the earnest money in the shape of National Saving Certificates/ Saving Account /Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, Kangra Division HPPWD Kangra .

The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Work No. 1. C/O link road Dam Austee Basti BAsnoor Khas (SH: C/O 1:00 mtr span RCC culvert at RD 0/320 i/c approaches Estimated Cost Rs.1,10,528/- Earnest Money Rs. 2250/- Time Limit Two Months 350/-
Work No. 2. C/O link road Dam Austee Basti BAsnoor Khas (SH: C/O road side drain at RD 0/300 to 0/330 L/side) Estimated Cost Rs. 1,11,539/- Earnest Money Rs. 2350/- Time Limit Two Months 350/-
Work No. 3. C/O link road village Bhairu Sandhu raod to Nerti Via Loer Nerti (SH: C/O Road Side drain at km 1/020 to 1/060 R/side edge wall at RD 2/600 to 2/650) Estimated Cost Rs. 1,17,773/- Earnest Money Rs. 2400/- Time Limit Two Months 350/-
Work No .4. c/o Shahpur Rehlu chambi road km 0/00 to 8/400 (SH: P/Laying C.C Pavement in km 7/870 to 7/935) Estimated Cost Rs. 2,13,552/- Earnest Money Rs. 4300/- Time Limit Two Months 350/-
Work No. 5. Repair of extension of Rcc culvert on Daulatpur Sunhi Sarotari road (SH:- epair of 2:00mtr. Span RCC slab culvert at RD 1/190) Estimated Cost Rs. 1,17,773/- Earnest Money Rs. 2400/- Time Limit Two Months 350/-
Work No. 6. C/o link road from Kangra Railay tation Gabla Andra Skout(SH:- C/o 900mm Hume Pipe culvert at RD 0.472) Estimated Cost R4,88,419/- Earnest Money Rs. 2000/- Time Limit Two Months 350/- .
Work No. 7. A/R & M/O Rest House at Lunj (SH:- Repair of roofing, cement plaster and other civil work) Estimated Cost Rs. 4,05,602/- Earnest Money Rs. 8150/- Time Limit Two Months 350/-
Work No. 8. C/o Govt Sr. Sec. School at Shahpur Tehsil shahpur Dixtt Kangra (HP) under RMSA (SH:- Balance work for the C/o I No Class Room)Estimated Cost Rs. 4,77,719/- Earnest Money Rs. 9600/- Time Limit Two Months 350/-
Work No.9. Repair to Civil Hospital at kangra (SH:-Dismantling of flooring and Providing and laying tiled flooring and inter locking tiles) Estimated Cost Rs. 8,22,533/- Earnest Money Rs. 16,500/- Time Limit Two Months 350/-.

TERMS & Conditions:-
1. The contractors /firms should be registered as or /dealer under HP Sales Tax Act, 1968.
2. The intending contractors /firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. The contractors is required to submit an affidavit for not having more than to works in hand in HPPWD in the Shape of affidavit duly attested by the competent authority.
4. The contractors will also have to attach the laour Employer License from the Labour Officer with the application.
5. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted holiday the same shall be processed on next working day.
6. The contactor Should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
7. The copy of Employees Provident Funds (PF number) should be attached with the application.
8. The earnest Money for the above work should be required at the time of sale of tender forms.
9. All the required document should submitted with the application otherwise or all tenders without assigning any reason.

Adv. No.-1281/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

प्रदेश सरकार के मीडिया के साथ हमेशा ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं:फारका

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रेस प्रत्यायन समिति की बैठक मुख्य सचिव वी.सी. फारका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति ने राज्य, जिला तथा उपमण्डल स्तर के 31 नए प्रत्यायन मामलों को स्वीकृति प्रदान की।

समिति ने राज्य स्तर के 56, जिला स्तर के 102 तथा उपमण्डल स्तर के 75 स्थायी प्रत्यायन तथा सात मान्यताओं को भी सत्यापित किया तथा राज्य, जिला तथा उपमण्डल स्तर पर प्रत्यायन की गई 101 अस्थायी प्रत्यायनों तथा 11 मान्यताओं को भी स्वीकृति प्रदान की।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने जुलाई, 2014 में आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप प्रेस प्रत्यायन नियम 2002 में संशोधन किया, ताकि वर्तमान में प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रत्यायन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि अब नए नियमों के अनुरूप प्रदेश में कार्य कर रहे समाचार पत्रों के संपादकों को भी प्रत्यायन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इसके अतिरिक्त अग्रणी समाचार पत्रों के समाचार संपादकों को भी प्रत्यायन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला और उपमण्डल स्तर पर समाचार पत्रों से जुड़े फोटोग्राफरों को भी प्रत्यायन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य, जिला तथा उपमण्डल स्तर पर इलैक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों के पत्रकारों व कैमरामैन को भी प्रत्यायन व मान्यता प्रदान की जा रही हैं।

फारका ने कहा कि प्रदेश सरकार के मीडिया के साथ हमेशा ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं और सरकार द्वारा पत्रकारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटलों में रियायत, नई दिल्ली व चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन (सदन तथा सरकारी विश्राम गृह) परिधि गृहों में ठहरने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी प्रत्यायन पत्रकारों को हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी टोल बैरियर प्लाजा द्वारा बसूले जाने वाले टोल टैक्स में भी छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी प्रत्यायन तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर प्रत्यायन प्राप्त पत्रकारों को आवासीय सुविधा प्रदान के लिए आवास कोटे की संख्या को बढ़ाकर 20 से 25 किया है और शिमला स्थित प्रत्यायन तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रेस स्टीकर भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्यों से मीडिया से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए बहुमूल्य सुझाव का भी आग्रह किया।

निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क दिनेश मल्होत्रा ने कार्यवाही का संचालन करते हुए कहा कि मीडिया की सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अतिरिक्त मीडिया सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों बारे फीड बैक देने में भी अहम योगदान देता है।

हिमाचल प्रदेश प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्यों ने बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। हिमाचल प्रदेश प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्य जनसत्ता के प्रधान संपादक मुकेश भारद्वाज, दि ट्रिब्यून एसोसियेट संपादक दिनेश कुमार, ईटीवी न्यूज हिमाचल के संपादक डॉ. शशिभूषण, दैनिक जागरण की राज्य संपादक डॉ. रचना गुप्ता, अमर उजाला के संपादक दयाशंकर शुक्ल सागर, दैनिक भास्कर के समाचार संपादक संदीप उपाध्याय, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अश्विनी शर्मा तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के ब्यूरो चीफ गौरव विष्ट बैठक में उपस्थित थे।

बचे एक साल में शहर में और क्या-क्या करें वामपंथियों ने जनता से मांगे सुझाव

शिमला/शैल। प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार पर सहयोग न देने को लेकर हमलावर तेवर अपनाते हुए वामपंथी मेयर संजय चौहान व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने अपने कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर एलान किया कि वो बचे एक साल में जनता को और सुविधायें देने पर विचार करेंगे। मेयर संजय चौहान ने कहा कि उन्होंने निगम को प्रॉफ्टि में ला दिया है। निगम में टैंकर धधा बंद कर निगम के लिए अपने टैंकर खरीद दिए है। उन्होंने कहा कि चार साल में विकास पर 91 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए है और पानी की सप्लाई जिसका भाजपा व कांग्रेस निजीकरण करना चाहती थी, उसका निजीकरण नहीं होने दिया। चार साल पूरे होने पर वामपंथी मेयर व डिप्टी मेयर राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने माना कि वो बहुत सा काम करने में कामयाब नहीं रहे। प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने आंकड़ें में हेराफेरी कर इस ऐतिहासिक शहर को स्मार्ट सिटी की रेस से बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और इस शहर को वापस स्मार्ट सिटी की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये के कारण वो शहर में बैटरी चालित वाहन चलाने में नाकाम रहे।

संजय चौहान ने कहा कि निगम सदन में वामपंथियों का बहुमत नहीं हैं, वो केवल 12 फीसदी ही है बावजूद इसके भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों का सहयोग लेने में कामयाब रहे है। पीलिया के कहर पर दुख जताते हुए चौहान ने कहा कि उन्होंने समय रहते अश्वनी खड्ड से सप्लाई लेनी बंद कर दी और ज्यादा नुकसान होने से बचा दिया। उन्होंने माना कि वो पानी की नियमित आपूर्ति करने में नाकाम रहे है लेकिन पानी उपलब्ध कराया और अब पानी की मानिटरिंग के लिए पूरा विंग निगम को मिल रहा है। इसके लिए सदन से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने कहा कि एडीबी के साथ से बातचीत चल रही है व शहर के 24 घंटे पानी की सप्लाई करने का बंदोबस्त करने की कोशिश में हैं।

शहर के 88 फीसद सड़कों की टारिंग कर दी है व अक्तूबर तक सब सड़कों की टारिंग कर दी जाएगी। शहर में शौचालयों की बुरी स्थिति पर देखते हुए सुलभ से काम वापस ले लिया है।

उन्होंने कहा कि पहले शहर का 35 टन कूड़ा ही उठता था अब 80 टन के कूड़ा उठ रहा है। रोपवे का काम शुरु हो गया है इससे कंजेशन तो रुकेगा ही साथ ही सैलानियों का आकर्षण भी बढ़ेगा व निगम को सालाना दस करोड़ के करीब आय होगी।

बाकी बचे एक साल में शहर में और क्या-क्या किया जा सकता है इसे लेकर मेयर व डिप्टी मेयर ने जनता के नाम एक चिटठी लिख कर सुझाव मांगे हैं।

मॉरीशस पीएम को हिमाचल की पर्यटन संभावनाओं से अवगत करवाया राज्यपाल ने

शिमला/शैल। उल्लेखनीय है कि अपने निजी मॉरीशस यात्रा के दौरान राज्यपाल ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री अनिरूद्ध जगन्नाथ तथा उनके मंत्रिमण्डल के 6 वरिष्ठ सदस्यों के साथ अलग-अलग कार्यक्रमों में मुलाकात की। इस दौरान, राज्यपाल ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं से अवगत करवाया। बातचीत के दौरान, इस बात का भी आकलन किया गया कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास में मॉरीशस से कैसे लाभ लिया जा सकता है।

अनिरूद्ध जगन्नाथ ने राज्यपाल का मॉरीशस आने पर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह पर राज्यपाल ने मॉरीशस में किसानों के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। राज्यपाल ने विचार-विमर्श सत्र के दौरान वहां के किसानों द्वारा शून्य लागत प्राकृति खेती के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

आचार्य देवव्रत द्वारा शून्य बजट प्राकृतिक खेती से प्रभावित होकर मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने अपने एक रोड्रिक्स द्वीप को जैविक कृषि का हब बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

व्यक्तिगत यात्रा होने के बावजूद भी प्राकृतिक खेती तथा हिमाचल प्रदेश में मौजूदा पर्यटन के प्रचार में उनकी यह यात्रा उल्लेखनीय रही।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने दिल्ली पहुंचने पर परिवहन भवन में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की।

राज्यपाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश को सड़क निर्माण, स्तरोन्यन एवं अन्य सौगातों के विषय में आभार व्यक्त किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के विस्तारीकरण, सौंदर्यकरण एवं अन्य प्रोत्साहनों पर भी उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास के लिए कृषि, गौ पालन, बागवानी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि इन विषयों पर नितिन गडकरी ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने समर्पित की रामपुर के लोगों को 11.25 करोड़ की विकास परियोजनाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देलठ में 1.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के विज्ञान खण्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने देलठ में 2.94 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पूनन खड्ड से शोली, शरोग, झिंझणू तथा ननखड़ी तहसील में थैली-चकटी ग्रेविटी जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 4000 से अधिक आबादी लाभान्वित होंगी। उन्होंने देलठ में 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण भी किया।

उन्होंने बरेच-बेवात सड़क के स्तरोन्यन के लिए भूमि पूजन किया। इस पर 6.31 करोड़ रुपये राशि खर्च होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं कीं, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देलठ में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करना, देलठ में आईटीआई खोलने की घोषणा, दलेठ के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देलठ में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण की घोषणाओं के अतिरिक्त ननखड़ी पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये की घोषणाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शिमला जिला की रामपुर तहसील के पंडाधार और देलठ में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा झूठे प्रचार कर रही है कि राज्य में चुनाव इसी वर्ष होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर चुटकी लेते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल को उनके ज्योतिषी भ्रमित कर रहे हैं और वह सत्ता में लौटने के लिए वह व्याकुल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के चुनाव निर्धारित समयावधि और सरकार के कार्यकाल के पूरा होने पर ही होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धूमल ने इस वर्ष जनवरी माह में भी मीडिया में इसी प्रकार की ब्यानबाजी की थी कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के चलते चुनाव 2017 की बजाय 2016 में हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि धूमल कोई ज्योतिषी नहीं है और दिन में सपने देख रहे हैं। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा और हमारी सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन राजनीतिक विरोधाभास हमेशा रहता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक भेदभाव को दरकिनार कर सभी क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास पर विश्वास करती है।

मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में चारदीवारी लगाने, लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और स्टॉफ के लिए दो शौचालयों के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल परिसर में और अधिक वृक्षारोपण करने तथा स्कूल के सम्पर्क मार्ग को चौड़ा करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कॉलेज खोले गए हैं। हालांकि, इन कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये महाविद्यालय वरदान साबित होंगे।

इससे पूर्व, देलठ ग्राम पंचायत की प्रधान रक्षा देवी और उप प्रधान सतपाल सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने देलठ में पॉलीटेक्निक अथवा आईटीआई की मांग की। उन्होंने अपनी पंचायत में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया।

मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास का श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को देते हुए उनका आभार जताया।

इससे पूर्व, देलठ की पूर्व प्रधान कृष्णा राणा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।

सरकार ने बन्दरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए जनता से मांगे सुझाव

शिमला/शैल। ठाकुर सिंह भरमौरी वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने बन्दरों की समस्या को देखते हुए उनके नियंत्रण करने हेतु समाज के सभी वर्गो से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक, तर्कसंगत व व्यवहारिक सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में बन्दरों द्वारा बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी के नष्ट होने सहित जीवन व सम्पति की क्षति होने की सूचनाऐं लगातार मिल रही हैं। इस समस्या को वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने समय-समय पर पत्रचार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री ने स्वयं एवं भरमौरी ने बार-बार दिल्ली जाकर इस समस्या के बारे में केन्द्रीय मन्त्री से मुलाकातें की। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने बन्दरों द्वारा मानव जीवन, फसलों और अन्य सम्पत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इस प्रजाति की संख्या को सन्तुलन करने तथा लोगों की समस्या के निदान हेतु इस प्रजाति को पीड़क जन्तु घोषित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पत्र संख्या एफ. एफ.ई.-बी-एफ.(6)/5-2010-1 16 सितम्बर, 2015 तथा एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)/5-2010-1,14 मार्च, 2016 द्वारा आग्रह किया तथा उनके अथक प्रयासों से अब सफलता प्राप्त हुई है। वन मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 678 दिनांक 14 मार्च, 2016 व संख्या 1330 दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा क्रमशः वन क्षेत्रों को छोड़कर नगर निगम शिमला की सीमाओं के अन्तर्गत 6 माह की अवधि के लिए व 10 जिलों (किन्नौर व लाहौल-स्पिति को छोड़कर) की 38 तहसीलों में बन्दरों को एक वर्ष की अवधि के लिए पीड़क जन्तु घोषित किया है।

भरमौरी ने इसी सन्दर्भ में समाज के सभी वर्गो से बन्दरों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक, तर्कसंगत व व्यवहारिक सुझाव मांगे हैं।

सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में, और पत्नी को घोर विपत्ति में .....चाणक्य

सम्पादकीय

कांग्रेस का संकट

2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मंहगाई के जो आरोप लगे उनका वह जवाब नहीं दे पायी। जनता ने उसे भ्रष्टाचारी सरकार कहकर सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बेदखली के बाद राज्यों की विधान सभाओं के जो भी चुनाव हुई उनमें पांडीचेरी को छोड़कर और कहीं भी कांग्रेस सत्ता में नही आयी। दिल्ली में तो शून्य पर चली गयी। दिल्ली के बाद बिहार और बंगाल में भले ही पार्टी का प्रदर्शन कुछ अच्छा रहा है लेकिन इसका श्रेय अकेले कांग्रेस को नही जाता है। यह श्रेय चुनावी गठबन्धन के दूसरे सहयोगीयों को उसी बराबरी में जाता है। अब पंजाब में 2017 जनवरी में चुनाव होने हैं और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी है। इसी तैयारी के परिदृश्य में कांग्रेस ने पंजाब में वरिष्ठ नेता कमल नाथ को यहां का प्रभार दिया। लेकिन 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में रही कमल नाथ की भूमिका को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये। इन सवालों के दवाब में कमल नाथ को पंजाब से हटाना पड़ा। कमल नाथ के बाद आशा कुमारी को वहां का प्रभार दिया गया। लेकिन संयोग वश आशा कुमारी को जमीन के मामले में ट्रायल कोर्ट से एक साल की सजा हो चुकी है। भले ही अपील में अब यह मामला हिमाचल उच्च न्यायालय में है लेकिन जब तक उच्च न्यायालय से क्लीन चिट नही मिल जाती है तब तक आशा कुमारी के खिलाफ सजा का यह फतवा जनता में यथा स्थिति बना रहेगा।

आशा कुमारी को यह जिम्मेदारी दिये जाने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रियाएं जारी करते हुए इसे कांग्रेस द्वारा जन-अनादर करार दिया है। इन प्रतिक्रियाओं का कांग्रेस ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला कहा है। यह ठीक है कि पार्टी किस आदमी को कहां क्या जिम्मेदारी देना चाहती है यह उसका अपना मामला है। लेकिन जब पार्टी जनता के बीच वोट मांगने-सत्ता मांगने जाती है तो वह जनता से पहला वायदा स्वच्छ शासन-प्रशासन देने का करती है। आज हर पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि वह अपने संगठन और पैसे के दम पर आपराधियों को चुनावों में उम्मीदवार बनाकर उतार रही है। लोकतन्त्र में लोक लाज बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील भूमिका अदा करती है। लोकलाज के लिये सबसे पहली आवश्यकता नेता की अपनी छवि का स्वच्छ होना है। आज आशा कुमारी के लिये और पार्टी के लिये यह धर्म संकट की स्थिति होगी जब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव का टिकट मांगने के लिये आ जायेगा जिसके खिलाफ कोई अपराधिक मामले खडे हों। ऐसे व्यक्ति को किस नैतिक अधिकार से वह मना कर पायेंगी। आज चुनाव के परिदृश्य में पार्टी ने आशा कुमारी को यह जिम्मेदारी देकर यह सवाल खड़े कर लिये कि क्या पार्टी में स्वच्छ छवि के लोगों की कमी है? क्या पार्टी आज किसी भी नेता के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का संज्ञान लेने को तैयार नही है?

भ्रष्टाचार के आरोपों के साये में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस ने क्या अभी तक हार से कुछ नही सीखा? आज मोदी सरकार जिन योजनाओं को लेकर जनता में अपनी सफलता का राग अलाप रही है उन सबकी नीव कांग्रेस में रखी गयी थी। कम्यूटरीकरण का सपना सबसे पहले स्व. राजीव गांधी ने देखा था। स्व0 चन्द्रशेखर के प्रधानमन्त्री काल में जब सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया गया था तो क्या नरसिंह राव और मनामोहन सिंह की सरकारों ने देश को उस स्थिति से बाहर नहीं निकाला। सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ता के खाते में ले जाने की योजना क्या मनमोहन सिंह की नहीं थी। जिस मनरेगा को लेकर मोदी ने इसे कांग्रेस का कलंक कहा था क्या आज उसको भाजपा अपनी उपलब्धि नही बता रही है? जब आधार योजना शुरू की गयी थी तक क्या इसका भाजपा ने विरोध नही किया था और उसे आज अपनी सफलता करार दे रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस भाजपा को घेर सकती है लेकिन ऐसा कर नही पा रही है क्योंकि पार्टी अपने भीतर बैठे भ्रष्टाचारीयों को बाहर का रास्ता दिखाने का साहस नहीं कर पा रही है और यही उसका सबसे बडा संकट है।

हिमाचल में उन्नति एवं खुशहाली के नए युग का सूत्रपात

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले साढे तीन वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व उन्नति एवं विकास का गवाह बना है। राज्य सरकार ने उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन देने के साथ-साथ राज्य के सभी क्षेत्रों का तीव्र एवं सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित बनाया है। वीरभद्र सिंह सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश सतत् विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वरोजगार सृजन, स्थूल आर्थिकी व वृहद् निवेश में आज राज्य अग्रणी बनकर उभरा है, जिससे लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में आशातीत बदलाव आया है।

राज्य ने स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी बड़े क्षेत्रों में एक मजबूत नींव रखी है। इसके अतिरिक्त, सभी घरों का पेयजल व शत-प्रतिशत् विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हासिल किया है।

शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है। राज्य की साक्षरता दर 88 प्रतिशत तक पहुंच गई है और प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश शत-प्रतिशत हो चुका है। अब राज्य अपने लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हासिल करने की ओर अग्रसर है। विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों को घर-द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार से अधिक नई पाठशालाएं तथा 29 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। इसके अतिरिक्त, दौरान 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए।

स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की तीन शीर्ष तीन सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 135 से अधिक नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए। इसके अलावा, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 60 पद और सामान्य डियूटी अधिकारियों के 550 पद भरे गए हैं। राज्य में एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से पहली बार पायलट आधार पर टैली स्ट्रोक प्रबन्धन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

आईजीएमसी शिमला तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा को सुपर स्पैशियलिटी चिकित्सा संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है और राज्य में शीघ्र ही तीन नए मेडिकल कॉलेज और एक एम्स भी खोला जा रहा है।

सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश औद्योगिक गतिविधियों से गुलजार हुआ है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 'निमंत्रण से उद्योग' की नीति अपनाई गई है। औद्योगिक प्रस्तावों को समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्य आवेदन प्रक्रिया अपनाई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। इस अवधि 12572 करोड़ रुपये के निवेश की 247 औद्योगिक इकाईयां स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 24760 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसी दौरान राज्य में 1415 किलोमीटर नई सड़कों व 134 पुलों का निर्माण कर 255 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई। आज राज्य में कुल 36,759 किलोमीटर लम्बी सड़कों का जाल बिछ चुका है।

सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए अनुदान पर सालाना 996 करोड़ रुपये व्यय कर रही है, जबकि कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर अनुदान प्रदान करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 410 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 10 एलईडी बल्व तथा गैर घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर 15 एलईडी बल्व वितरित किए गए हैं।

कृषि एवं बागवानी राज्य के लोगों की मुख्य आर्थिकी हैं और इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस पहल की गई है। कृषि में विविधता लाने के लिए जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की सहायता से 321 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई सुविधाएं एवं उनके खेतों तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सब्जी उत्पादन एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विपणन की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं तथा तकनीकी जानकारी प्रदान की जा रही है।

राज्य में फसल विविधिकरण, बे-मौसमी सब्जी उत्पादन, बुनियादी सुविधाओं का विकास, पॉलीहाऊस एवं लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए 111.19 करोड़ रुपये की 'डा. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना' भी कार्यान्वित की गई है। किसानों को पॉलीहाऊसों के निर्माण, टपक सिंचाई एवं स्प्रिंकलर्ज के लिए 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन बढ़ाकर 650 रुपये प्रतिमाह की है और 80 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को 1100 रुपये प्रतिमाह पैंशन प्रदान की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी अन्न योजना के तहत राज्य के 37 लाख लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किए जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को उपदान दरों पर 35 किलोग्राम राशन हर महीने उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मजदूरों की दिहाड़ी को 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है और गरीब लोगों के लिए गृह अनुदान की राशि 48,500 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की है। मात्र बेघर लोगों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान की जा रही है।

दीपक सानन प्रकरण में

यह है चालान में आरोप

यह आरोपी वर्ष 2011-12 में बतौर Principal Secretary Cum FC (Revenue) रहा है। इसने HPCA को होटल पैवेलियन हेतु लीज पर दी गई सारी जमीन जिसकी स्वीकृति मन्त्रीमंडल द्वारा दी गई थी बाद में व्यावसायिक प्रयोग करने हेतु NOC जारी किया है जिससे मंत्रीमंडल के फैसले के प्रतिकूल निर्णय लिया गया है तथा इस आरोपी ने लीज रूल 2011 बिना वित विभाग की स्वीकृति के विशेष तौर पर HPCA को अनुचित लाभ पहुंचाने की अधिसुचित करके सरकारी पद का दुरूयोग किया है। इस आरोपी को HPCA के अधिकारिक शडयंत्र में शामिल होकर लीज रूल 2011 में नियम न0 9 स्थापित करके Sub Lease का प्रावधान किया ताकि HPCA के पक्ष में इसके द्वारा NOC दिया जा सके और HPCA सरकारी जमीन का Commercial use कर सके। लिहाजा पट्टा नियम 2011 अधिसूचित होने के बाद दीपक सानन ने HPCA के पक्ष में NOC जारी किया जिसके आधार पर HPCA के पक्ष में Supplementary lease निष्पादित हुई तथा HPCA खिलाडी आवासीय परिसर को अब बतौर होटल पैवलियन व्यावसायिक तौर पर प्रयोग कर रही है अतः इस आरोपी ने हिमाचल सरकार मन्त्रीमण्डल के फैंसले के विपरीत NOC जारी किया है। इस आरोपी को बतौर सचिव राजस्व यह बखूबी तौर पर ज्ञान था कि HP Lease Rules 1993 (Amended 2003) में सिर्फ 5 बीघा सरकारी जमीन राजस्व सचिव/FC द्वारा पट्टे पर दी जा सकती थी और केबिनेट के द्वारा दी गई जमीन के प्रयोग को बदलने तथा लीज डीड की शर्तो को संशोधित करने का अधिकार भी इस आरोपी को न था इसी प्रकार Rules of Business के शिडियूल 20 के अनुसार जो मामला एक बार कैबिनेट में गया हो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Add & Delete) भी कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें नीचे के स्तर पर कुछ नही किया जा सकता है परन्तु इसने जानबूझ कर HPCA के शडयंत्र में शामिल होकर क्रिकेट खिलाडियों के आवास हेतु दी गई सरकारी भूमि को व्यवसायिक प्रयोग करने हेतु NOC जारी कर दिया तथा असल लीज डीड में लगाई गई शर्तो को भी Supplementary लीज डीड द्वारा बदलने के आदेश कर दिये। जो इस आरोपी ने साफ तौर पर अपने सरकारी पद का दुरूपोग करके जुर्म जेर धारा 13(2) PC Act व 120(B) IPC का अपराध किया है इस आरोपी द्वारा लिये गए फैसले बारे नोटिंग पृष्ठ न0 1710 से 1743 पर सलग्न है लीज रूल्ज 1993 व 2011 पृष्ठ न0 1492 से 1510 पर सलग्न है लीज डीड 2009 व सप्लीमन्टरी लीज डीड 2011 की प्रतियां पृष्ठ न0 1184 से 1204 पर सलग्न है बिजनेस रूल्स 1414 से 1416 पर सलग्न है।

भारत सरकार का आदेश

F.No.107/8/2014-AVD.I
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
***

New Delhi, dated 25th August, 2015.

ORDER

WHEREAS, Govt. of Himachal Pradesh vide letter dated 30.4.2014 had sought sanction of prosecution under PC Act, 1988 against Shri Deepak Sanan, IAS(HP:82) and Shri Ajay Kumar Sharma, IAS(HP:2003) in FIR No.12/2003 dated 01.8.2013 registered by Police Station, State Vigilance & Anti-corruption Bureau, Dharamshala against Himachal Pradesh Cricket Association(HPCA), Dharamshala on the basis of direction dated 05.07.2013 of the Ld. Court of Special Judge Kangra at Dharamshala directing the SHO, PS SV & ACB, Dharamshala to conduct the enquiry u/s 202 of Cr.P.C. in the matter.

2. **AND WHEREAS,** in the FIR No.12/2013, cases under Section 120-B IPC and Section 13(2) of the PC Act, 1988 have been registered against S/Shri Deepak Sanan, IAS(HP:82), Ajay Kumar Sharma, IAS(HP:2003) for the alleged irregularities in allotment of land, construction of Hotel, permission for commercial activities etc.

3. **AND WHEREAS,** it is alleged in the FIR that during 2011-12 Shri Deepak Sanan, IAS (HP:82), formerly Principal Secretary cum FC (Revenue) by misusing his official position and in connivance with others had issued NOC for the commercial use of the Govt. land which was leased to the HPCA for the construction of Hotel Pavilion by reversing the earlier decision of Council of Ministers giving undue benefit to Himachal Pradesh Cricket Association.

4. **AND WHEREAS,** it is alleged in the FIR that Shri Ajay Kumar Sharma, IAS(HP:2003) during the year 2008, while functioning as Director, YSS and Special Secretary (YSS), had proposed to approve the proposal of HPCA reg. permission for construction of Club House on Cricket Stadium for commercial use on the file to grant undue benefit to the HPCA whereas the land was leased out to the HPCA for construction of Stadium as per terms & conditions of the lease deed.

2

5. **AND WHEREAS,** the Competent authority in the State Government, after carefully examining the material, i.e. copy of Challan/Final report, Statement of witnesses and documents attached with case file in regard to the allegations and other circumstances of the case, has reached a conclusion that a prima facie case is made out against Shri Deepak Sanan, IAS and Shri Ajay Kumar Sharma, IAS and decided to prosecute them in a Court of Law for the said offences under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973. Accordingly, State Govt. has issued sanction u/s 197 of Cr. P.C against both the accused officers.

6. **AND WHEREAS,** Shri Sanan in his defence has stated that as per Revenue Department's Standing Order No. Rev-A(A)(2)-I/94 dated 13.10.2003 under Sr. No. IX (iii) "Miscellaneous", the Secretary is competent authority to take a decision on any matter that did not involve policy or which was not specifically provided for in the Standing Orders. Further, since this matter did not involve policy (which was already laid down by the Lease Rules 2011) and did not find specific mention in the Standing Orders, therefore, it was to be disposed of at the level of the Secretary according to the provision provided under Sr. No. IX (iii) "Miscellaneous",

7. **AND WHEREAS,** Shri Sanan further stated that since this matter did not involve any policy (which was already laid down by the Lease Rules 2011) and did not find specific mention in the Standing Orders, it was to be disposed of at the level of the Secretary, therefore, he was competent to take a decision in this matter.

8. **AND WHEREAS,** on the question whether NOC was given against the decision of the Cabinet, Shri Sanan stated that the NOC was given in accordance with the Lease Rules, 2011 approved by the Cabinet for which he was competent. On the issue whether he changed the Cabinet decision taken earlier, Shri Sanan clarified that Item 13 of SCHEDULE (Rule 14,15 and 16) to the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971 states that "proposals involving the alienation either temporary or permanent or of sale, grant or lease or Government property exceeding Rs. 50,000/- in value or the abandonment or reduction of revenue exceeding that amount *except* when such alienation, sale, grant or lease of Government property or abandonment or reduction of revenue is in accordance with the Rules or with a general scheme already approved by the Council".

3

9. **AND WHEREAS,** Shri Sanan has stated that since the NOC to HPCA was issued as per the HP Lease Rules, 2011 which were approved by the Council of Ministers and as per the provisions available under the SCHEDULE 13 of Rules of Business, therefore, there was no need of taking the approval of the Council of Ministers in this matter.

10. **AND WHEREAS,** on the question whether he by abusing official position had issued NOC on the basis of which wrong Lease was executed though as per Standing order No. Rev-A(A)(2)1/94 dated 16.6.2005 such type of NOC could be given by Minister-in-charge, Shri Sanan has stated that the provision relates only for acquisition of Lands/Buildings for Public purposes. He further added that Standing order dated 16.6.2005 has substituted para III, sub-para (ii) of the Standing order dated 13.10.2003 and this substitution vide Standing Order dated 16.06.2005 is in fact a delegation to the Secretary to issue NOCs in the case of acquisition of land for state government departments while keeping other land acquisition cases within the purview of the Minister-in-charge. He mentioned that as against this, as per earlier provision when all cases of NOC for acquisition were required to be approved by the Minister-in-charge.

11. **AND WHEREAS,** Shri Sanan has clarified that the Draft Lease Rules were published in the Rajpatra vide Notification No.104/Gazette dated 20.08.2011 for inviting Objections and suggestions from the general public after Cabinet approval on 27.07.2011. Since no Objections/suggestions were received from the general public, therefore, there was no need of taking the Lease Rules 2011 again to the Council of Ministers before final notification.

12. **AND WHEREAS,** Shri Ajay Kumar Sharma the then Director cum Special Secretary on his proposal for agreeing with the demand of HPCA and allow them to construct Club House, has stated that he had submitted the said proposal because International Cricket matches had been organized at Dharamshala Cricket stadium and there was a requirement of arrangement for tea, coffee, snacks etc. in the club house for the players and others during the matches. Further, lease had already been executed and his intention was only to facilitate arrangement for convenience of the players in the sports ground itself. He also stated that he had submitted the proposal to the higher authorities for taking a decision.

13. **AND WHEREAS,** having regard to the facts and circumstances of the case and the nature of evidence collected by the investigators including the report of SP, SV & ACB, NR, Dharamshala(HP) after conducting further investigation in the

4

matter, defence submitted by Shri Deepak Sanan, IAS(HP:82) and Shri Ajay Kumar Sharma, IAS(HP:2003), the views of the State Vigilance Department in regard to the defence statement of the two accused officers, the competent authority in the Central Government is of the considered view that the evidence against both the officers are, prima-facie, not sufficient to seek and justify launching of prosecution against them under Section 13 (1)(d) r/w 13 (2) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

14. **AND THEREFORE,** the competent authority in the Central Government declines to accord sanction for prosecution against Shri Deepak Sanan, IAS(HP:82) and Shri Ajay Kumar Sharma, IAS(HP:2003) u/s 19(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the present case. It orders accordingly.

By order and in the name of the President.

(Rajneesh Mohan Singh)
Under Secretary to the Govt. of India

(रजनीश मोहन सिंह)
(RAJNEESH MOHAN SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
Min. of Personnel, P.G. & Pensions
Deptt. of Personnel

Dated: 25th August, 2015.

The Principal Secretary(Personnel),
Govt. of Himachal Pradesh,
Department of Personnel(A-I),
Shimla-171002.

Copy to:

(1) the Director, CVC(Kind Attention: Shri H.K. Beniwal), Satarkta Bhawan, INA, New Delhi
(2) Shri G. Srinivasan, US(AVD.I)/Order Folder.

सी वी सी के दिशा निर्देश

No. 005/VGL/11
Central Vigilance Commission
Coordination I
*****

Satarkta Bhawan, Block 'A'
INA, New Delhi-110023
The, 12th May, 2005.

OFFICE ORDER NO. 31/5/05

Sub:- Guidelines to be followed by the authorities competent to accord sanction for prosecution u/s. 19 of the PC Act.

....

The Commission has been concerned that there have been serious delays in according sanction for prosecution under section 19 of the PC Act and u/s 197 of CrPC by the competent authorities. The time limit prescribed by the Hon'ble Supreme Court for this is 3 months generally speaking. **The Commission feels this delay could be partly due to the lack of appreciation of what the competent authority is expected to do while processing such requests.**

There have been a number of decisions of the Supreme Court in which the law has been clearly laid down on this issue:-

1. Jagjit Singh Vs. State of Punjab, 1996 Cr.L.J. 2962.
2. State of Bihar Vs. P.P. Sharma, AIR 1991 SC 1260.
3. Superintendent of Police (CBI) Vs. Deepak Chowdhary, AIR 1996 SC 186.
4. Vineet Narain Vs. Union of India, AIR 1998 SC 889.

2. **The guidelines to be followed by the sanctioning authority, as declared by the Supreme Court are summarized hereunder:-**

i) Grant of sanction is an administrative act. The purpose is to protect the public servant from harassment by frivolous or vexatious prosecution and not to shield the corrupt. **The question of giving opportunity to the public servant at that stage does not arise. The sanctioning authority has only to see whether the facts would prima-facie constitutes the offence.**

II) The competent authority cannot embark upon an inquiry to judge the truth of the allegations on the basis of representation which may be filed by the accused person before the Sanctioning Authority, by asking the I.O. to offer his comments or to further investigate the matter in the light of representation made by the accused person or by otherwise holding a parallel investigation/enquiry by calling for the record/report of his department.

iii) When an offence alleged to have been committed under the P.C. Act has been investigated by the SPE, the report of the IO is invariably scrutinized by the DIG, IG and thereafter by DG (CBI). Then the matter is further scrutinized by the concerned Law Officers in CBI.

iv) When the matter has been investigated by such a specialized agency and the report of the IO of such agency has been scrutinized so many times at such high levels, there will hardly be any case where the Government would find it difficult to disagree with the request for sanction.

v) **The accused person has the liberty to file representations when the matter is pending investigation.** When the representations so made have already been considered and the comments of the IO are already before the Competent Authority, there can be no need for any further comments of IO on any further representation.

vi) **A representation subsequent to the completion of investigation is not known to law, as the law is well established that the material to be considered by the Competent Authority is the material which was collected during investigation and was placed before the Competent Authority.**

vii) However, if in any case, the Sanctioning Authority after consideration of the entire material placed before it, entertains any doubt on any point the competent authority may specify the doubt with sufficient particulars and may request the Authority who has sought sanction to clear the doubt. But that would be only to clear the doubt in order that the authority may apply its mind proper, and not for the purpose of considering the representations of the accused which may be filed while the matter is pending sanction.

viii) If the Sanctioning Authority seeks the comments of the IO while the matter is pending before it for sanction, it will almost be impossible for the Sanctioning Authority to adhere to the time limit allowed by the Supreme Court in Vineet Narain's case.

The Commission has directed that these guidelines as at para 2(i)-(vii)should be noted by all concerned authorities for their guidance and strict compliance.

Sd/-
(Sujit Banerjee)
Secretary

To

Secretaries of All Ministries/Departments
CMDs/CEOs of all PSEs/PSUs/PSBs/Financial Institutions
Autonomous Organisations
All CVOs

पुलिस पहरे में शोंगटोंग प्रोजेक्ट, 36 FIR, 276 अरेस्ट के बाद HC का दखल

शिमला/शैल। हिमाचल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के जिला किन्नौर में स्थापित किए जा रहे 450 मेगावाट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट में पिछले तीन चार महीनों से चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी किन्नौर नरेश कुमार लट्ठ को हड़ताली मजदूरों व कंपनी के बीच समझौता कराने के निर्देश दिए है। इससे पहले शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट में मजदूरों की हड़ताल को लेकर अभी तक 36 एफआईआर, और 276 अरेस्ट हो चुके है। आलम ये है कि इस प्रोजेक्ट के पांच –छह साइट्स पर दिन रात पुलिस का पहरा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के कर्मचारी भी पुलिस के पहरे में काम पर आ जा रहे है। ये अजीब स्थिति बनी हुई है। इस बीच अदालत का ये आदेश आया है।

ये आदेश मजदूरों यूनियन शोंगटोंग कड़छम हाइडल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक चौहान की खंडपीठ ने जारी किए है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाए।

गौरतलब है कि एचपीसीएल ने इस प्रोजेकट का काम पटेल कंपनी को दे रखा है और दिसंबर 2015से फरवरी से फरवरी 2016 तक मजदूरों का वेतन अदा न करने पर मजदूर पर हडताल पर चले गए। कंपनी 200 के करीब कर्मचारियों की छंटनी भी कर दी जिससे मजदूर भड़क गए वामपंथी मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले आंदोलन तेज कर दिया। इस सूरत में आंदोलन को कुचलने के लिए डीसी किन्नौर ने जगह- जगह धारा 144 लगा दी।

आलम ये हो गया कि प्रशासन ने मजदूरों को हड़ताल से रोकने के लिए कई हथकडे अपनाए व रिकांगपियों में हड़ताली कर्मचारियों को अनशन करने की जगह दे दी। जब यहां पर 250 के करीब मजदूर आ गए तो डीसी ने फिर आदेश दे दिए कि यहां पर 35 से ज्यादा मजदूर नहीं बैठ सकते। आखिर में प्रशासन ने दिलचस्प फैंसला लिया और रिकांगपियों में पुलिस लाईन में हड़ताल करने की इजाजत दे दी। मजदूर अपनी मांगों को लेकर वहीं पर अनशन कर रहे है। ये अपने आप दिलचस्प है। 13 मार्च को कंपनी व मजदूरों के बीच हुए समझौते में तय हुआ कि दो दिनों के भीतर वेतन दे दिया जाएगा। लेकिन वेतन नहीं दिया गया।

एसपी किन्नौर खुशहाल शर्मा ने रिपोटस आइ डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि वो कंपनी के लोगों को पूरी सुरक्षा दे रहे है व कानून के मुताबिक काम कर रहे है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अभी तक 36 एफआईआर दायर कर दी है। जबकि 276 अरेस्ट की जा चुकी है। आंदोलन की वजह से जिला का सारा पुलिस अमला शोंगटोंग में तैनात कर दिया है। एसपी ने स्थिति को संभालने के लिए 4 सब इंस्पेक्टर, 9एएसआई, 35 हैड कांस्टेबल, 120 कांस्टेबल और 20 लेडी कांस्टेबल बटालियन से बुला कर तैनात कर रखा है। जबकि जिला से चार सब-इंस्पेक्टर, 6 एएसआई, 14 हैड कांस्टेबल, 60 कांस्टेबल और सात लेडी कांस्टेबल को इस हड़ताल को संभालने व कंपनी का काम चलवाने के लिए तैनात कर रखा है।

इस सारे मामले में दिलचस्प ये है कि सीटू ने प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी को इस मामले में लपेट रखा है। सीटू का आरोप है कि पटेल कंपनी ने जगत सिंह नेगी को 95 करोड़ का ठेका दे रखा है व वो सीटू से जुड़े कर्मचारियों को बाहर का रास्ता निकालने में जुटे है। जगत सिंह नेगी यहां से विधायक भी है। इस आंदोलन में अभी तक भाजपा नहीं कूदी है जबकि कांग्रेस समर्थक मजदूर संगठन इंटक आंदोलनकारियों के खिलाफ स्टैंड ले चुका है।

बड़ा सवाल ये है कि अदालत के आदेश आने से पहले डीसी व सरकार इस मामले में कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाए। क्या कंपनी आंदोलन की आड़ में प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाना चाहती है। कंपनी ने समय पर मजदूरों का वेतन क्यों अदा नहीं किया। जब वेतन अदा नहीं हुआ तो प्रदेश सरकार व मोदी सरकार के लेबर विभाग ने कंपनी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। कंपनी ने 200 लोगों की छंटनी क्यो की। जब 90 मजदूरों को वापस लेने का समझौता हो गया था तो बाकी 23 मजदूर नेताओं की बहाली को क्यों टाल दिया। क्या हड़ताली मजदूर व सीटू कोई ब्लैकमेल का खेल खेल रही है। या सरकार के अफसर, ठेकेदार, नेता कोई भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे है। सरकार इस मामले का पुलिस समाधान क्यों चाह रही है। ये सारे सवाल बड़े हैं।

समझा जा रहा है कि अदालत के आदेशों के बाद अब संभवत: मामला सुलझ जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को लगी है। लेकिन सवालों के जवाब मिलेंगें इन पर संदेह हैं।

अनुराग के प्रयास से बढ़ा आईआईटी मंडी का बजट

शिमला/शैल। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईआईटी मंडी की धन राशि बढ़ाकर 1466 करोड़ रुपए कर दी गई है। हमीरपुर सांसद व भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की तरफ से धन राशि बढ़ाए जाने के लिए लगातार प्रयास किया गया, जो सार्थक रहा। ठाकुर ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा राज्यों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे इस दृष्टिकोण से देश की युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा।

ठाकुर ने आईआईटी की बजट राशि दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के प्रति आभार प्रगट किया और कहा कि केन्द्र की राजग सरकार द्वारा आई आई टी मंडी के लिए राशि बढ़ाने का जो फैसला किया गया, उससे साफ हो जाता है कि शिक्षा को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। मूल्यांकन के बाद सरकार ने पाया कि पहले आवंटित धनराशि कम है, इसलिए केन्द्रीय मानवसंसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सारी स्थिति का मूल्यांकन कराने के बाद आईआईटी मंडी के लिए पूर्व में बनाए गए 760 करोड़ के बजट को संशोधित कर उसे 146 करोड़ रुपए कर दिए हैं। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है । इसलिए मंडी में आईआईटी खोलने में किसी तरह की समस्या पैदा नहो, इसे ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से धन राशि देने का काम किया जा रहा है हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंडी में आईआईटी खुलने से राज्य तथा राज्य के बाहर के युवाओ के लिए तकनीकी शिक्षा का नया विकल्प तैयार हो जाएगा। मालूम होकिआईआईटी मंडी के लिए आवंटित राशि पर पुर्नविचार कर धनराशि बढ़ाए जाने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से लगातार पैरवी की गई। उनका यह प्रयास सार्थक साबित हुआ और आईआईटी मंडी का बजट दोगुना कर दिया गया।

Himachal Pradesh Mid Himalayan Watershed Development Project

Features

Word Bank Assisted Integrated mul sectoral, gender sensi ve, par cipatory watershed development Project with bo om-up planning being implemented in the Mid Hills and the High hills zone of H P w.e.f. 1st October, 2005 with the assistance of the World Bank with the objec e is to reverse the process of degrada of the natural resource base and improve the produc e poten of natural resources and incomes of the rural households in the project area.

Project Impacts

Ins Strengthening

- 18 GPs awarded with State level Model Gram Panchayat Award & 66 GPs awarded with Divisional level Model Gram Panchayat Awards.
- 4932 established User Groups (UGs) formed for managing resources created by Project in a sustainable manner.
- 5066 workshops, 1761 Trainings, 774 Exposure visits organized under Community Capacity building ac .
- 1879 workshops, 280 Trainings, 134 Exposure visits & 9 Interna onal Trainings organized under Human Resource Development.

Non Arable Land:

- Treated 70% of available areas of non arable land with Forestry planta and drainage line treatment.
- 62.47 % survival percentage of the Project planta increased biomass produc by 36.51%, reduced the rate of top soil loss and is mi a climate change.
- 6600 households benefi ed by Bio Carbon planta
- Rs.1.63 crores earned from the Bio Carbon planta (carbon sequestra

Water Harves

- 8961 number of Water Harves Structures & 241Km of Kuhal constructed.
- 1077602 Cum of pondage developed.
- 6439.38 Ha of irriga poten u ed.
- Increased water availability has led to diversifica of High Value Crops, labour saving & enhanced watershed values.
- Irriga methods like sprinkler & drip irriga introduced & adopted by farmers.

Farming System

- Mi a nega e environmental impacts through produc of 30,000 MT of vermicompost.
- Increased produc of Wheat-14% & Maize- 13%.
- Irrigated area diversified to high value crops 60.4%
- Fodder availability increased by 16.37%.
- Milk yield increased by 11.55%.
- 7733 tarpaulins, 651 rams and bucks provided to nomads under Tribal Ac Plan.

Mountain Livelihood

- On farm, Off farm & Service Sector related ac vi es implemented.
- More than 32 livelihood ac vi es implemented by 4174 Common Interest Groups having 47851 beneficiaries.
- 33% of the vulnerable households benefi ed under Mountain Livelihood ac
- 1146 Common Interest Groups clubbed together to form 241 clusters.
- Per capita income of Project increased by 93% and 7% in real terms a er offse infla

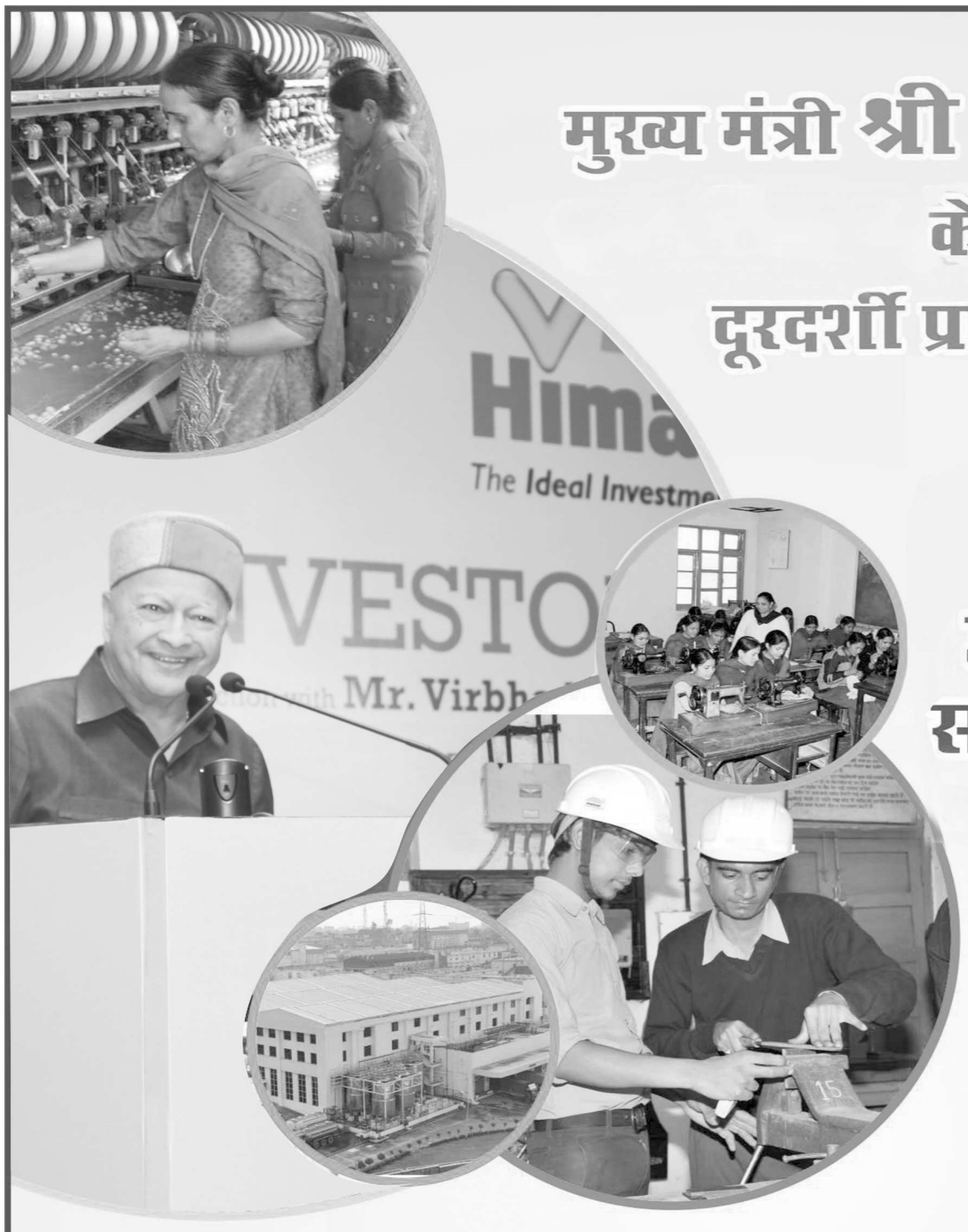

मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह
के
दूरदर्शी प्रयासों से

हिमाचल में उद्योगों ने खोले समृद्धि व रोज़गार के द्वार

नए उद्योगों के लिए स्वीकृतियाँ केवल एक ही आवेदन पर 45 दिनों में।
₹ 11,663 करोड़ की 219 परियोजनाएं स्वीकृत, 22,000 युवाओं को रोज़गार।
रोज़गार मेले आयोजित कर 27,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान।

- प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास के लिए ₹ 500 करोड़ की कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ₹ 1000 का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को ₹ 1500 प्रतिमाह भत्ता। योजना से 1,07,887 युवा लाभान्वित।
- कौशल विकास के लिए 17 औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।
- नये निवेश पर सेल डीड व लीज डीड पर स्टॉम्प ड्यूटी में 50% की छूट।
- औद्योगिक इनपुट पर केवल 1% प्रवेश शुल्क।
- उद्योगों को रियायती बिजली मुहैया करवाने के लिए विद्युत शुल्क में कटौती।
- 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क की दर 5 वर्षों के लिए केवल एक प्रतिशत।

ज़िला कांगड़ा के कन्दरोड़ी में ₹ 122 करोड़ तथा ज़िला ऊना के पंडोगा में ₹ 140 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य प्रगति पर।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

खुशहाली की ओर बढ़ते हिमाचल के क़दम

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

क्या प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प होगा

शिमला/शैल।क्या प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का राजनीतिक विकलप बन पोयगा? यह सवाल एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि प्रदेश में इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनो का शीर्ष नेतृत्व एक बराबर सवालों और जांच ऐजैन्सीयो की जांच की आंच झेल रहा है आजतक प्रदेश में सता कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच रही है। और इसी सता के कारण यह नेतृत्व अब तक अपने को बचाता भी रहा है। इनके इस बचाव की कला की कीमत प्रदेश ने कैसे चुकाई है इसका प्रमाण है प्रदेश के कर्जभार का आंकड़ा 46 हजार करोड़ तक पहुंचना और जिस दिन यह आंकड़ा 60 हजार करोड़ तक पहुंच जायेगा तब प्रेदश के कर्ज लेने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग जायेगा। केन्द्रिय सहायता तक रूक जायेगी। प्रदेश का शीर्ष प्रशासन इस स्थिति को जानता और समझता है। संभवत इसी कारण प्रशासनिक हल्को में भी राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता पर चर्चा चल पडी है।

इस परिदृश्य में यदि पूर्व में विकल्प के लिये हुए प्रयासों पर नजर डाली जाये तो लोकराज पार्टी से लेकर हिंविका, हिलोपा तक जो कुछ हुआ है उसका एक निश्कर्ष स्पष्ट है कि जिस भी नेता ने एक बार सता का सुख भोग लिया हो वह विपक्ष की राजनीति कर ही नही सकता। विजय सिंह मनकोटिया और राजन सुशांत भी इसी कारण असफल रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता ने हर प्रयास को समर्थन देने का साहस दिखाया है और तभी जनता दल को 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 11 पर जीत हासिल हुई थी। इतनी ही जीत एक बार लोक राजपार्टी को मिली थी। विकल्प की यह पृष्ठ भमि आज नया प्रयास करने वालों को सामने रखनी होगी। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आसानी से अपना हकदार क्यों पैदा होने देगी।

इस समय प्रदेश के भविष्य को संभालने के लिये विकल्प की अतिआवश्यकता है क्योंकि जहां कांग्रेस और भाजपा में चाटुकारिता की संस्कृति हावी हो चुकी है वहीं पर प्रशासन भी इसी संस्कृति का शिकार हो चुका है। यहां तक कि लोकतन्त्र का चौथा खम्भा होने का दावा करने वाली पत्रकारिता ने भी आत्मचिन्तन का गला घोंट रखा है। पत्रकार नेता और अधिकारी से ज्यादा व्यापारी हो चुके हैं। ऐसे में विकल्प का साहस जुटाने वालों को इन ताकतों से एक ही समय में इक्टठे लोहा लेना होगा। क्योंकि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर आम आदी पार्टी जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनने की ओर एक कदम बढ़ा रही है उसी अनुपात में यह सारी ताकतें उस पर हमलावार होती जा रही है।

हिमाचल में भी विकल्प की उम्मीद केवल हिमाचल में विकन्प की उम्मीद केवल आम आदमी पार्टी से ही की जा सकती है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के हाईकमानों की तरह अभी आप का हाई कमान नहीं है। भाजपा और कांग्रेस अपने भ्रष्टों पर कारवाई से पहले उनकी भ्रष्टता को सही ठहराने का प्रयास करती है जबकि केजरीवाल ने हर आरोपी पर कारवाई करने में कोई देर नहीं लगाई है। हिमाचल के परिदृश्य में यहां की सारी कार्यकारिणी को सामूहिक रूप से भंग करके अपनी निष्पक्षता का परिचय दे दिया है। यह निष्पक्षता उनके भविष्य की उम्मीद जगाती है। कार्यकारिणी को भंग करके नये पर्यवक्षकों की टीम भेज दी गई है और इस टीम ने अपना काम शुरू भी कर दिया है यह पर्यवेक्षक अपना क्या आंकलन सामने रखते हैं यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा लेकिन प्रदेश की अब तक की ईकाई राजन सुशांत के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को यह तक नही बता पाई है कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प आखिर क्यों चाहिये? यह प्रदेश इनकी किन नीतियों के कारण कर्ज के मकड़ जाल में फंस कर रह गया है? कहां इन दोनों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को नजरअन्दाज किया है? क्योंकि आज जो कुछ प्रदेश में घट चुका है यदि उसका ईमानदारी से पर्दाफाश किया जाये तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाबदेह होना पड़ेगा। उम्मीद है कि 'आप' अगली ईकाई घोषित करने से पहले इन तथ्यों को ध्यान में रखेगी।

समय पूर्व चूनावों के दावों प्रतिदावों का सच

शिमला/शैल। नेतृत्व जब किसी संकट में होता है और वह संकट चर्चा का विषय बन जाता है तब जन सामान्य का ध्यान बांटने के लिये नेता कोई बड़ा मुद्दा उछाल कर एक नयी बहस को जन्म देते हैं। आजकल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने की अटकलों के ब्यान धूमल और वीरभद्र के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। धूमल संभावनाएं जता रहे हैं और वीरभद्र इन्हें खारिज करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोनो नेता संकट और उससे ध्यान हटाने के गणित में पूरी तरह फिट बैठते हैं।

धूमल को वीरभद्र ने घेरने के लिये एचपीसीए, अवैध फोन टेंपिग, ए एन शर्मा प्रकरण के साथ ही आय से अधिक संपति जांच का प्रंसग भी छेड़ दिया है इन सारे मामलों पर स्वाभाविक रूप से भाजपा के अन्दर अपनी-अपनी तरह की चर्चाएं उठी हैं और इन चर्चाओं का परोक्ष/अपरोक्ष प्रभाव धमूल पर पडा भी है। इसी कारण से धूमल ने पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से प्रदेश में समय पूर्व चुनावों की संभावनाओं के ब्यान दागने शुरू कर दिये और आज इन ब्यानों पर वीरभद्र भी पार्टी बन गये हैं।

दूसरी ओर वीरभद्र भी इस कार्यकाल के शुरू से ही आयकर और सीबीआई जांच के घेरे में चलते-चलते ईडी द्वारा संपति अटैच के मुकाम तक पहुंच गये हैं। सीबीआई की पूछताछ भी दो दिन झेलआये हैं। फिर इस बार शुरू से ही मन्त्री मण्डल विस्तार निगमों/बोर्डो की ताजपोशीयां राजेश धर्माणी, राकेश कालिया और जी एस बाली की समय-समय पर नाराजगीयां झेलते आ रहे हैं। इन मामलों में सहयोगी मन्त्रीयों और कभी-कभी पार्टी की ओर से भी वीरभद्र के पक्ष में ब्यान आ जाते थे लेकिन जब से सीबीआई ने पूछताछ की है तबसे वीरभद्र के पक्ष में कोई ब्यान किसी का भी नही आया है। सीबीआई अदालत में चालान डालने की तैयारी कर चुकी है। सीबीआई के चालान के साथ ही ईडी की पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जायेगा। इस सबको निष्पक्षता से देखें तो वीरभद्र और धूमल दोनों एक ही पायदान पर खडे नजर आ रहे है।

इस परिदृश्य में जनता का ध्यान बांटने के लिये केन्द्र सरकार ने प्रदेश को 60 हजार करोड़ के नैशनल हाईवेज की घोषणाएं थमा दी। जबकि नैशनलन हाईवे की घोषणा से पहले संबधित रोड का ट्रैफिक सर्वे होता है। इसके मानदण्डो का एक परफार्मा बना हुआ है जिसके अनुरूप रोड की समीक्षा की जाती है लेकिन इन व्यवहारिक औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही यह घोषनाएं कर दी गयी है। प्रदेश भाजपा के नेता इस व्यवहारिकता को समझते हुए प्रदेश सरकार से इन सड़को के लिये भूमि उपलब्ध करवाने की मांग करके इन घोषणाओं पर अमल न हो पाने की जिम्मेदारी शिफ्ट करने की नीति पर चल रही है।

इसी तरह मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह ने भी प्रदेश का दौरा इस तर्ज पर शुरू कर रखा है जिससे चुनाव प्रचार अभियान का संकेत स्पष्ट उभरता है क्योंकि हर जगह घोषणाओं के अंबार लगा दिये हैं। यह सारी घोषणाएं बजट से बाहर हैं। एक घोषणा को बजट प्रावधान तक एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले संबधित विभाग रिपोर्ट तैयार करता है उसके बाद यह रिपोर्ट वित विभाग में जाती है औरउसके बाद मन्त्रीमण्डल की स्वीकृति तक पहुंचती है। लेकिन मुख्यमन्त्री की इन सारी घोषणाओं को प्रक्रिया के इस दौर से अभी गुजरना है। ऐसे में केन्द्र से लेकर मुख्यमन्त्री तक की इन घोषणाओं पर अमल के लिये ही हजारो करोड़ चाहिये जो कि सरकार के पास है नही।

ऐसे में केन्द्र और मुख्यमन्त्री की इन घोषणाओं के अघोषित चुनाव प्रचार अभियान मानने के अतिरिक्त जनता इसे और क्या समझे । इसलिए समय पूर्व चुनावों की अटकलें धूमल -वीरभद्र ज्योतिषी नही वरन जनता स्वंय लगा रही है और इन नताओं के पास ऐसी व्यानवाजी के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी शेष नही बचा है।

CM वीरभद्र व पूर्व IAS आहलुवालिया के संपति मामलों की जांच में अहम भूमिका निभा चुके अधिकारी नेगी का डेपुटेशन खत्म

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनके प्रधान निजी सचिव व पूर्व आईएएस अफसर सुभाष आहलुवालिया की आय व संपतियों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के अफसर भूपेंद्र सिंह नेगी की डेपुटेशन वाली याचिका के खारिज होने से वीरभद्र सिंह व आहलुवालिया को शायद राहत मिले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नेगी डेपुटेशन से वापस आकर हिमाचल पुलिस ज्वाइन करेंगे या वो कुछ और जुगाड़ करेंगे।

नेगी हिमाचल में जेटली के मंत्रालय वित विभाग के प्रवर्तन निदेशालय के शिमला में खुले कार्यालय में पहले अस्सिटेंट डायरेक्टर तैनात हुए और बाद में डिप्टी डायरेक्टर लग गए। वो हिमाचल पुलिस से ईडी में डेपुटेशन पर गए थे।

उनका डेपुटेशन इसी महीने समाप्त हो रहा है। इस बीच ईडी ने 130 अफसरों को ईडी में तैनात करने के लिए आवेदन मांगे तो भूपेंद्र नेगी ने भी आवेदन कर दिया।

इस पर वीरभद्र सिंह सरकार ने जुलाई 2015 में उन्हें डेपुटेशन पर ही रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इस बीच उनकी वीरभद्र सिंह व आहलुवालिया से तनातनी हो गई तो सरकार ने कुछ दिनों के बाद अपनी सहमति वापस ले ली। सरकार ने कहा कि प्रदेश में एचपीएस अफसरों की कमी है सो नेगी को वापस अपने मूल कैडर हिमाचल पुलिस में लौटना होगा। सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज दी कि उनके अफसर को वापस भेज दिया जाए। नेगी हिमाचल पुलिस में एएसपी बन गए हैं।

नेगी ने वीरभद्र सिंह सरकार के इस कदम को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे दी तो अदालत ने उन्हें स्टे दे दिया। लेकिन अब प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि किस अफसर को कहां रखना है व कहां भेजना है, ये सरकार का काम है। अदालत इसमें दखल नहीं देगी। अदालत ने भूपेंद्र नेगी की याचिका को इस दलील पर खारिज कर दिया। अब याचिका खारिज हो गई है और उनका डेपुटेशन भी खत्म हो गया है।

समझा जा रहा है कि अब हिमाचल में ईडी से जो भी नया अफसर तैनात होगा वो आहलुवालिया के संपति मामलों में ज्यादा जांच नहीं कर पाएगा व वीरभद्र सिंह के मामलों से जुड़ी जानकारियां भी आसानी से मुहैया नहीं करा पाएगा।

जबकि नेगी चूंकि हिमाचल पुलिस विभाग का अफसर था तो उन्हें आहलुवालिया व वीरभद्र सिंह के मामलों को लेकर जानकारियां जुटाने में सहूलियत थी। ऐसे में उन्होंने ईडी मुख्यालय को आधिकारिक व अनधिकारिक तौर पर कई अहम जानकारियां भेजी। जिससे वीरभद्र सिंह व आहलुवालिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि कागजातों के अलावा सीबीआई को कुल डेढ़ लाख कैश सीएम के घर से मिला।

ऐसे में ईडी जांच में कूद पड़ी और ढेर सारी जानकारियां जुटा दी। बताते है कि इसमें भूपेंद्र नेगी ने अहम भूमिकाएं निभाई व इसलिए सरकार ने उनका डेपुटेशन खत्म करने का फैसला लेकर उन्हें अपने अंडर करने का बंदोबस्त कर दिया। अब इंतजार इस बात का है नेगी का अगला कदम क्या होगा और क्या मोदी सरकार व जेटली व प्रदेश में धूमल खेमा उनका साथ देंगे। चूंकि राजनीतिक तौर पर नेगी की ओर से जुटाई गई जानकारियों का सबसे ज्यादा फायदा धूमल परिवार को हुआ है।